



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम A Government of India Enterprise)

कैगा स्थल KAIGA SITE



संयंत्र स्थल ,कैगा :डाक घर ,581400, उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक राज्य भारत ,Plant Site, PO: Kaiga-581400, Uttara Kannada Dist., Karnataka State, INDIA
निगम पहचान सं Corporate Identity No.: U40104MH1987GOI149458 वेबसाइट website: www.npcil.nic.in

मानव संसाधन HUMAN RESOURCE

**अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 व अप्रेंटिस नियम, 1992 के अधीन ट्रेड अप्रेंटिसों की नियुक्ति
Engagement of Trade Apprentices under Apprentices Act, 1961 and Apprentices Rules, 1992**

विज्ञापन सं. Advertisement No.	एनपीसीआईएल/कैगा स्थल/ मा.सं./टीए/01/2022 NPCIL/Kaiga Site/HR/TA/01/2022
ऑन की करने प्रस्तुत आवेदन लाइन-आरंभ तिथि OPENING DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION	29.06.2022 से From 10:00 hrs
ऑन तिथि मअंति की करने प्रस्तुत आवेदन लाइन- CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION	31.07.2022 तक Till 16:00 hrs

युवाओं और उद्योग की आवश्यकताओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और समय-समय पर यथा संशोधित अप्रेंटिसशिप नियम, 1992 के अंतर्गत कैगा स्थल, कारवार तालुका, जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक में, आईटीआई पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कैगा स्थल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। Nuclear Power Corporation of India Limited, Kaiga Site invites online application from the candidates passed out from ITI Courses for engagement as Trade Apprentices under Apprentices Act, 1961 and Apprenticeship Rules, 1992 as amended from time to time for Kaiga Site, Karwar Taluk, Uttara Kannada District, Karnataka - 581400 to make it more responsive to the needs of youth and the industry.

चयन प्रक्रिया Selection Process:

- प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को उनके आईटीआई पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित किया जाएगा।
 - कैगा स्थल के 16 कि.मि. परिधि में निवास करने वाले स्थानीय योग्य अर्थियों को वरियता दी जाएगी।
Preference will be given to the eligible local candidates living within 16 kms. radius of Kaiga Site.
 - प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को उनके आईटीआई पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित किया जाएगा
The candidates will be short listed for training based on the marks obtained in their ITI course.
- मानक चिकित्सा परीक्षा अर्हता प्राप्त करने के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा।
The candidates shall be engaged after qualifying the standard medical examination.
- अप्रेंटिसों को निम्नानुसार वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा। The apprentices shall be paid Stipend as mentioned below:
 - जिन्होंने एक साल का आईटीआई कोर्स किया है उन्हें ` 7,700/- प्रति माह की वृत्तिका दी जाएगी।
Stipend of ` 7,700/- per month for those who have completed one year of ITI course.
 - जिन्होंने दो साल का आईटीआई कोर्स किया है उन्हें ` 8,855/- प्रति माह की वृत्तिका दी जाएगी।
Stipend of ` 8,855/- per month for those who have completed two years of ITI course.
- प्रशिक्षण स्थान कैगा संयंत्र स्थल, वाया कारवार, कैगा – 581400, जिला- उत्तर कन्नड़ , कर्नाटक होगा। The place of training shall be Plant Site, Kaiga, Via Karwar, Kaiga – 581400, Uttara Kannada District, Karnataka.
- यह नियुक्ति व प्रशिक्षण पूर्णतः अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 एवं अप्रेंटिस नियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार है।
The Engagement and training are strictly in compliance with the provisions of the Apprentices Act, 1961 and Apprenticeship Rules, 1992.
- प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थी को जिला पुलिस प्राधिकारी से पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र और संबंधित आईटीआई संस्थान से चरित्र /आचरण प्रमाणपत्र देना होगा।
The candidate has to produce a Police Verification Certificate (PVC) from the District Police Authority and a Character/ Conduct certificate from the concerned ITI institution at the time of reporting for training.

7. प्रबंधन के पास किसी भी ट्रेड की रिक्तियों की संख्या निरस्त करने या परिवर्तित करने व बगैर कोई कारण बताए, अप्रेंटिस के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। अर्हता, आवदनों की स्वीकार्यता अथवा आपत्ति, चयन का ढंग, आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चयन प्रक्रिया का निरस्तीकरण, इत्यादि से संबंधित सभी मामलों में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। इस विषय में किसी पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। सीटों का भरा जाना अभ्यर्थी की उपयोगिता के आधार पर पूरी तरह प्रबंधन के विवेक पर होगा और अनुपयोगिता / अभ्यर्थियों की अपर्याप्त संख्या के कारण यदि इनमें से कुछ सीटें नहीं भरी जाती हैं तो रखे जाने के विषय में कोई दावा पैदा नहीं होगा।

Management reserves the right to cancel or alter the number of seats of particular trade or even the entire process of engagement of apprentice without assigning any reason whatsoever. The decision of Management will be final and binding on all candidates on all the matters relating to eligibility, acceptance or objection of the applications, mode of selection, cancellation of the selection process either in part of full etc. No correspondence will be entertained in this regard. Filling up of the seats is solely at the discretion of the management based on suitability of candidate and no claim will arise for engagement, if some of these seats are not filled due to unsuitability / insufficient number of candidates.

8. अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए नामित अभ्यर्थियों को, अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 और अप्रेंटिस नियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार एनपीसीआईएल के साथ एक करार करना होगा। अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर यह अप्रेंटिस करार समाप्त हो जाएगा। अप्रेंटिस करार की असामयिक समाप्ति या इसमें किए जाने वाले विस्तार पर अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 और अप्रेंटिस नियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

Any person engaged to undergo apprentice training in a designated trade shall enter into contract of apprenticeship with NPCIL as per the Apprentices Act, 1961 and Apprenticeship Rules, 1992. The contract of apprenticeship shall stand terminated on the expiry of the said period of apprenticeship training. Any premature or extension of contract of apprenticeship shall be dealt as per the provisions of the Apprentices Act, 1961 and Apprenticeship Rules, 1992.

9. परिवहन / हॉस्टल सुविधा या किसी अन्य प्रकार की आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
Providing Transport / Hostel facility or any other form of residential accommodation during Apprentice training is not under the scope.

10. आवेदित की गई ट्रेडों की संख्या का लिहाज किए बिना अभ्यर्थियों को केवल एक ही आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। एक से अधिक पंजीकरण / असवेदन करने की स्थिति में, केवल एक ट्रेड पर ही विचार किया जाएगा।
Candidates should submit only one application form for any one trade irrespective of number of trades called for. In case of multiple registration or applications, only one trade will be considered.

11. प्रशिक्षण समाप्त होने पर अप्रेंटिस को एनपीसीआईएल में रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।
The apprentice shall have no right to claim employment in NPCIL after completion of the training.

12. एनपीसीआईएल पर किसी भी अप्रेंटिस को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण अवधि के समाप्त होने के बाद कोई रोजगार देने के लिए बाध्यता नहीं होगी ना ही किसी अप्रेंटिस को एनपीसीआईएल के अंतर्गत कोई रोजगार स्वीकार करने के बाध्यता होगी।
It shall neither be obligatory on the part of the NPCIL to offer any employment to any apprentice who has completed the period of his apprenticeship training nor shall it be obligatory on the part of the apprentice to accept an employment under NPCIL.

13. अ जा / अ ज जा / अ पि व (एनसीएल) / पीडब्ल्यूबीडी / आ.क.व. वर्ग से संबंधित सभी अभ्यर्थी, दस्तावेजों के सत्सापन के समय केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति, मूल प्रति के साथ सत्सापन के लिए प्रस्तुत करेंगे। ओ बी सी प्रमाणपत्र हाल ही में 01.04.2022 को जारी किया हुआ हो जिस पर क्रीमि लेयर / नॉन क्रीमि लेयर की स्थिति में के विषय में समुचित रूप से उल्लेख किया गया हो (भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल वे ओ बी सी अभ्यर्थी जो नॉन-क्रीमि लेयर का प्रमाण पत्र रखते हैं, आरक्षण के लिए पात्र हैं।) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाणपत्र 01.04.2022 को या इसके बाद जारी किया हुआ होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्रों को www.npcilcareers.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

Candidates belonging to SC/ST/OBC (NCL)/PwBD/EWS category shall produce the copy of relevant certificate in the prescribed 'Central Government' format from the Competent Authority empowered to issue such certificate alongwith original at the time of documents verification. OBC certificate should have been issued on or after 01.04.2022 with suitable mention about Creamy layer / Non – Creamy layer status. (OBC candidates with certificate having the "Non-Creamy Layer Clause" only will be eligible for reservation as per Government of India guidelines). EWS certificate should have been issued on or after 01.04.2022. The prescribed formats can be downloaded from www.npcilcareers.co.in.

14. स्थानीय उम्मीदवार अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए आवश्यक रूप से वैध साक्ष्य प्रस्तुत करें। इस संबंध में, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी आधार/मतदाता/ड्राइविंग लाइसेंस/रेशन कार्ड की स्व-साक्षात्कृत प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन के समय अवश्य प्रस्तुत करें। Local Candidates shall necessarily produce valid proof to establish their identity. In this regard, the Aadhar / Voter / Driving licence / Ration card issued by Govt. authorities alongwith a self-attested copy shall be made available at the time of document verification without fail.
15. आगे इस प्रक्रिया से संबंधित विवरण/अद्यतन जानकारी/शुद्धिपत्र/अनुशेष इत्यादि को समय-समय पर केवल एनपीसीआईएल की वेबसाइट www.npcilcareers.co.in पर ही प्रकाशित/उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि विवरण के लिए नियमित अंतराल पर एनपीसीआईएल की वेबसाइट www.npcilcareers.co.in पर विजिट करते रहें। All further announcements/details pertaining to this process /updates/corrigendum/addendum etc. will be **only** published/ displayed in NPCIL website www.npcilcareers.co.in from time to time. Candidates are advised to visit our website www.npcilcareers.co.in for details at regular intervals.
16. अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता दस्तावेजों के सत्यापन होने तक अनंतिम ही रहेगी। उपरोक्त अप्रेंटिसशिप नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पता चलता है कि अभ्यर्थी ने असत्य या गलत सूचना दी है तो, अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। The candidature of the applicant would be provisional and subject to verification of documents subsequently. At any stage, if it is found that the candidate has furnished false or incorrect information, then the candidature is liable for cancellation.



नाभिकीय विद्युत – एक अपरिहार्य विकल्प है।
Nuclear Power – An Inevitable Option

